

## परीक्षा निर्देश

### प्री. पॉलीटेक्निक (Diploma Engineering) प्रवेश परीक्षा (PPT) –2019

**परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –**

1. परीक्षा की तिथि – 09.05.2019 (गुरुवार)
2. परीक्षा का समय : – पूर्वाह्न 9:00 से 12:15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 26.03.2019 (मंगलवार)
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 14.04.2019 (रविवार), रात्रि 11:59 बजे तक
5. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि – 03.05.2019 (शुक्रवार)
6. परीक्षा केन्द्र : – 27 जिला मुख्यालयों में
  
7. परीक्षा शुल्क – परीक्षा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है –
 

सामान्य वर्ग के लिए	– 200/-
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	– 150/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए	– 100/-

**परीक्षा शहर एवं कोड नंबर—**

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	—	कोड नंबर
1.	अम्बिकापुर (सरगुजा)	—	11
2.	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	—	12
3.	बिलासपुर	—	13
4.	दंतेवाड़ा	—	14
5.	धमतरी	—	15
6.	दुर्ग	—	16
7.	जगदलपुर (बस्तर)	—	17
8.	जांजगीर-चांपा	—	18
9.	जशपुर नगर	—	19
10.	कांकेर	—	20
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	—	21
12.	कोरबा	—	22
13.	महासमुंद	—	23
14.	रायगढ़	—	24
15.	रायपुर	—	25

16.	राजनांदगाँव	—	26
17.	बीजापुर	—	27
18.	नारायणपुर	—	28
19.	गरियाबंद	—	29
20.	बलौदा बाजार	—	30
21.	बालोद	—	31
22.	बेमेतरा	—	32
23.	मुंगेली	—	33
24.	कोणडागाँव	—	34
25.	सूरजपुर	—	35
26.	बलरामपुर	—	36
27.	सुकमा	—	37

---

टीप – त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा ।

उत्तरशीट में केवल लिंग (Gender), श्रेणी (Category), वर्ग (Class) एवं जन्मतिथि (Date of Birth) में की गई प्रविष्टियों को अंतिम मानते हुए मूल्यांकन किया जायेगा । अन्य प्रविष्टियों आवेदन पत्र के आधार पर ही मान्य होंगी । बाद में कोई भी त्रुटि सुधार का आवेदन मान्य नहीं होगा । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद व्यापम स्तर पर त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्प्ल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।

ध्यान रहे –

1. 3.5 से.मी. चौड़ाई x 4.5 से.मी. लंबाई का फोटो, जिसका अधिकतम साइज 50 kb का एवं च्यूनतम साइज 40 kb का हो, फोटो, हस्ताक्षर, नाम तथा अँगूठा निशान इन चारों को एक ही पेपर पर निर्दिष्ट स्थान पर (मिले हुए फार्मेट में) रखकर स्कैन (SCAN) कराकर JPEG फाईल के रूप में सेव (Save) करके रखें ।
2. शुल्क अदायगी के लिए बैंक का डेबिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड) / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होना आवश्यक होगा, अतः सम्बंधित पासवर्ड एवं अन्य जानकारी तैयार रखें ।

## महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :- आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम देखें । केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय प्रवेश नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों । मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है ।
2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM –PPT19” लिंक पर उपलब्ध फाईल से प्राप्त की जा सकती है ।

### **3. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-**

परीक्षा के लगभग एक सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसिलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा।

**पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।**

### **4. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-**

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर केवल 26.03.2019 से 14.04.2019 तक संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 7470470609 पर संपर्क कर सकते हैं।

### **5. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-**

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के “Syllabus for- PPT19” लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये।

### **परीक्षा समन्वयक केन्द्रों के नाम**

क्र. जिला	महाविद्यालय का नाम	फोन नंबर
1. अस्सिकापुर	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अस्सिकापुर	07774-230921
2. बैकुण्ठपुर	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836-232252
3. बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर,	07752-246430
4. दंतेवाड़ा	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	07856-240087
5. धमतरी	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722-237933
6. दुर्ग	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग	0788-2211688
7. जगदलपुर	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
8. जांजगीर-चांपा	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा	07817-222240
9. जशपुर नगर	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763-223539
10. कांकेर	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868-222028
11. कबीरधाम	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741-232496
12. कोरबा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759-221458
13. महासमुंद	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723-222048
14. रायगढ़	किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762-222966
15. रायपुर	शासकीय नारायण्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131
16. राजनांदगाँव	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	07744-225036
17. बीजापुर	शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर	94242-93022
18. नारायणपुर	शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर	94252-98192
19. गरियाबंद	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	94077-30011
20. बलौदा बाजार	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बलौदा बाजार	94255-23895

21. बालोद	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बालोद	94256–38175
22. बेमेतरा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बेमेतरा	94241–28570
23. मुंगेली	शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली	94255–43065
24. कोण्डागाँव	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागाँव	94255–95895
25. सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर	07775–266657
26. बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	98268–79840
27. सुकमा	शासकीय महाविद्यालय, सुकमा	9425260241

## 6. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं—

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट स्पष्ट न हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला / काला डाटपेन।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायरेंस, पेन कार्ड, वोटर आई डी, दसवीं की अंकसूची लेकर ही परीक्षा केन्द्र में जावें, जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा।

नोट— अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाईल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

## 7. परीक्षा पद्धति :-

प्रवेश परीक्षा में सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

## 8. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से एक ही उत्तर सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर या सबसे उपयुक्त उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं अन्य उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जाएंगे।

## 9. दावा /आपत्ति के निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नीयत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ईमेल आई.डी. **cgvyapam.dawaapatti2019@gmail.com** से परीक्षा कोड

**PPT19** लिखते हुए भेजा जा सकता है। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा। बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

## **10. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :—**

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो।
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

विषय-विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 100 है, में से 03 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 97 प्रश्नों में से 82 अंक प्राप्त करता है तो बोनस अंक सहित अंकों की गणना इस प्रकार होगी —

$$\frac{\text{कुल सही उत्तरों की संख्या} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{82 \times 100}{100 - 3} = 84.536$$

इसी आधार पर मेरिट निर्धारित होगी।

## **11. परीक्षा परिणाम :—**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर रेंकिंग सूची घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम के वेबसाइट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

## **12. अंकसूची :—**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परिणाम घोषित करने के उपरांत अभ्यर्थी अंकसूची व्यापम के वेबसाइट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) से प्राप्त कर सकते हैं।

## **13. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :—**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

## **14. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :—**

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।